



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25082026-275750
CG-UP-E-25082026-275750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4520]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4520]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 21 अगस्त, 2026

का.आ. 4705(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11वाँ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित, राजपत्र संख्या 3225 दिनांक 23 जून 2026 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय [उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभा)] की अधिसूचना संख्या- का.आ. 3358 (अ), दिनांक 17 जून 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के तहसील पृथ्वीपुर में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क के उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् “ दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में दिनांक 30 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था;

जिसमें कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए, तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं;

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना “झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना” के लिए निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं0	जनपद/ तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भू-स्वामी का नाम बल्लियत व जाति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निवाड़ी /पृथ्वीपुर	हीरापुर	289	0.0863	निजी	कृषि	मुन्नी बेवा कृपाराम पहलवान पुत्र कृपाराम गोविन्ददास पुत्र कृपाराम मानसिंह पुत्र कृपाराम विनोद बेवा कालीचरन अक्षय पुत्र कालीचरन मेहरवानसिंह पुत्र सुखनंदन शेरसिंह पुत्र हरप्रसाद जामवती बेवा हरप्रसाद हरिशचन्द्र पुत्र नाथूराम हुकुम सिंह पुत्र नाथूराम
2			410/289	0.2001	निजी	कृषि	हरीराम, राजीलाल, गयाप्रसाद, रामकुमार तनय श्यामलाल तिवारी अभिषेक तनय शीतल
3			409/289	0.1088	निजी	कृषि	अभिषेक पुत्र शीतल प्रसाद तिवारी रामकुमार, रामजीलाल, हरीराम, गयाप्रसाद पुत्रगण श्यामलाल
4			245	0.0154	निजी	कृषि	मुन्नी बेवा कृपाराम पहलवान पुत्र कृपाराम गोविन्ददास पुत्र कृपाराम मानसिंह पुत्र कृपाराम विनोद बेवा कालीचरन अक्षय पुत्र कालीचरन

						मेहरवानसिंह पुत्र सुखनंदन
						प्रेमकुवर बेवा रामसेवक
						शेरसिंह पुत्र हरप्रसाद
						जामवती बेवा हरप्रसाद
						हरिशचन्द्र पुत्र नाथूराम
						हुकुम सिंह पुत्र नाथूराम
5			408/227	0.1724	शासकीय	(शासकीय) म. प्र. शासन
6			406/227	0.1206	निजी	कृषि
						वद्रीप्रसाद पुत्र रामदास
						शालिकराम पुत्र बाबूलाल
7			376	0.0223	शासकीय	(शासकीय) म. प्र. शासन
8			227	0.1758	निजी	कृषि
						सन्तोषकुमार पुत्र नाथूराम
9			246	0.0001	निजी	कृषि
						अभिषेक पुत्र शीतल प्रसाद तिवारी
						रामकुमार, रामजीलाल, हरीराम, गयाप्रसाद
						पुत्रगण श्यामलाल
10			388/227	0.0001	शासकीय	(शासकीय) म. प्र. शासन
कुल योग			0.9019 हेक्टेयर			

[ई.फा. सं. एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.भूमि/5/2022-ओ.अ.डिप्टी.सी.ई.सी-I झांसी
(कम्प्यूटर नं. 60371) दिनांक 21.08.2026]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 21st August, 2026

S.O. 4705(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the ministry of Railways (North Central Railway, Construction Department), Notification Number S.O. 3358 (E), dated the 17 June 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Gazette Number 3225, dated the 23 June 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely **“Construction of Jhansi-Khairar-Manikpur & Khairar-Bhimsen Rail Line Doubling Project”** in Tehsil Privthipur, district Niwari in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran & Amar Ujala” dated 30 June 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act shall be final.

And whereas, no objection was received and the same has been considered by the competent authority accordingly order has been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely “**Jhansi-Khairar-Manikpur & Khairar-Bhimsen Rail Line Doubling Project**” under **Prithvipur Tehsil of Niwari District** in the state of Madhya Pradesh.

Sr.	Name of District/ Tehsil	Name of Village	Khasra No	Acquisition Area (In Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Niwari/ Prithvipur	Hirapur	289	0.0863	Pvt.	Agri.	Munni, widow of Kriparam
							Pahalwan, S/o Kriparam
							Govinddas, S/o Kriparam
							Mansingh, S/o Kriparam
							Vinod, widow of Kalicharan
							Akshay, S/o Kalicharan
							Meharwansingh, S/o Sukhnandan
							Shersingh, S/o Harprasad
							Jamwati, widow of Harprasad
							Harishchandra, S/o Nathuram
						Hukum Singh, S/o Nathuram	
2			410/289	0.2001	Pvt.	Agri.	Hariram, Rajilal, Gayaprasad & Ramkumar, S/o Shyamlal Tiwari
							Abhishek, S/o Sheetal
3			409/289	0.1088	Pvt.	Agri.	Abhishek, S/o Sheetal Prasad Tiwari
							Ramkumar, Ramjilal, Hariram & Gayaprasad, S/o Shyamlal
4			245	0.0154	Pvt.	Agri.	Munni, widow of Kriparam
							Pahalwan, S/o Kriparam
							Govinddas, S/o Kriparam
							Mansingh, S/o Kriparam
							Vinod, widow of Kalicharan
	Akshay, S/o Kalicharan						
	Meharwansingh, S/o Sukhnandan						
	Premkuvar, widow of Ramsevak						
	Shersingh, S/o Harprasad						
	Jamwati, widow of Harprasad						
				Harishchandra, S/o Nathuram			
				Hukum Singh, S/o Nathuram			
5	408/227	0.1724	Govt.		(Government) Government of Madhya Pradesh		
6	406/227	0.1206	Pvt.	Agri.	Badriprasad, S/o Ramdas		
					Shalikram, S/o Babulal		
7	376	0.0223	Govt.		(Government) Government of Madhya Pradesh		
8	227	0.1758	Pvt.	Agri.	Santosh Kumar, S/o Nathuram		
9	246	0.0001	Pvt.	Agri.	Abhishek, S/o Sheetal Prasad Tiwari		
					Ramkumar, Ramjilal, Hariram & Gayaprasad, S/o Shyamlal		
10	388/227	0.0001	Govt.		(Government) Government of Madhya Pradesh		
Total				0.9019			

[e-file No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No.60371) dated 21.08.2026]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)